आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

08-09-2023

वाद सं0–48 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्र0–मनिका, जिला–लातेहार telephone के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने आयोग को प्रमाण दिखाते हुए ये बताया की शिकायतकर्ता को जून माह का राशन दे दिया गया है, जबकि जुलाई माह का राशन इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाया कि वो राशन लेने गये ही नहीं। जबकि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि वो जब राशन लेने डीलर के यहाँ गये तो उन्हें डीलर द्वारा यह बताया गया कि E-POS मशीन load नहीं ले रहा है। इस आवेदन के साथ श्रवण सिंह, सोमर सिंह एवं चमनी देवी का भी आवेदन संलग्न है। सोमर सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें जुलाई 2023 का राशन अँगुठा लगाकर भी नहीं दिया गया है तथा पावती रशीद भी नहीं दी गई। चमनी देवी ने अपने आवेदन में ये लिखा है कि उन्हें मई, जून एवं जुलाई माह का राशन नहीं दिया गया है, जबकि E-POS मशीन में उनसे अँगुठा लगवा लिया गया। उन्होंने राशन कार्ड में भी बिना राशन दिये कार्ड में चढ़ा दिये जाने की बात लिखी है। श्रवण सिंह/एता सिंह ने भी जून और जुलाई माह का भी राशन नहीं देने की शिकायत की है। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में ये लिखा है कि डीलर से पूछने पर डीलर बताता है कि राशन नहीं आया है।

आयोग सभी आवेदन की छायाप्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को हाथों–हाथ उपलब्ध कराने का निर्देश देता है साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वो सभी शिकायतकर्ता को राशन मुआवजा के साथ उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण लेकर 03.10.2023 के सुनवाई में उपस्थित हों। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 03.10.2023 को सभी शिकायतकर्ताओं को मुआवजा सहित राशन उपलब्ध नहीं कराया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को आदेश की प्रति भेजते हुए निर्देश देता है कि भविष्य में अलग–अलग शिकायतकर्ताओं के शिकायत पत्र के आधार पर अलग–अलग वाद प्रारम्भ करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।